

राजस्थान सरकार

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ4(136-ग)आयोजना / निकाशि / 2011 / 1278 दिनांक : 28-11-2011

संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ4(136-ग)आयोजना / निकाशि / 2011 / 1033-1175 दिनांक 1.11.2011 में संलग्न सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. राजकीय महाविद्यालय, बारां, किशनगढ़, नाथद्वारा, भवानीमण्डी, गोविन्दगढ़, कुशलगढ़, राजकीय कन्या महाविद्यालय, अजमेर, बालोतरा, बांसवाड़ा, नाथद्वारा एवं सिरोही में एक कनिष्ठ लेखाकार के पद के स्थान पर एक लेखाकार का पद पढ़ा जावे ।
2. राजकीय महाविद्यालय, जैतारण में 2 कनिष्ठ लेखाकार के स्थान पर एक कनिष्ठ लेखाकार पढ़ा जावे ।
3. राजकीय महाविद्यालय, भोपालगढ़, टोडाभीम, केलवाड़ा, राजकीय कन्या महाविद्यालय, सार्दुलशहर में 2 पद कनिष्ठ लेखाकार तथा राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर में एक कनिष्ठ लेखाकार के पद को संविदा कर्मी पर भरा जाने हेतु पढ़ा जावे ।
4. राजकीय महाविद्यालय, भीम, कोटड़ा, पोकरण में 2 कनिष्ठ लेखाकार के स्थान पर एक लेखाकार का पद पढ़ा जावे ।
5. निदेशालय में वरिष्ठ लिपिक के 39 पदों के स्थान पर 38 पद वरिष्ठ लिपिक के पढ़े जावे तथा राजकीय महाविद्यालय में ब्याना में एक पद वरिष्ठ लिपिक का रवीकृत होना पढ़ा जावे ।
6. राजकीय महाविद्यालय, दौसा में बुक लिफ्टर के 3 के स्थान पर 4 पद पढ़े जावे तथा राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर में बुक लिफ्टर के 4 के स्थान पर 3 पद पढ़े जावे ।

(सुबीर कुमार)
निदेशक

क्रमांक : एफ4(136-ग)आयोजना / निकाशि / 2011 / 1278 दिनांक : 28-11-2011

प्रतिलिपि निगलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, निदेशक कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक कार्मिक / प्रशासन / योजना एवं समन्वय ।
3. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
4. संबंधित प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय,
5. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, अजगेर / बीकानेर / जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा कालेज शिक्षा राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके क्षेत्र से संबंधित स्वीकृत कार्यरत-रिक्त पदों की सूचना संकलित कर अतिशीघ्र भिजवायें ।
6. रथापना प्रभारी, निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ।
7. केशियर, निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
8. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, वैबसाइट प्रभारी ।
9. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (पी.एण्ड सी.)
कालेज शिक्षा
राजस्थान जयपुर ।